भारत का विधि आयोग



हिन्दू विवाह ग्रिधिनियम 1955 की धारा 24 से 26 पर 98वीं रिपोर्ट

अन्तरिम भरण-पोषण के लिये आदेश और वैवाहिक कार्यवाहियों में अपत्यों के भरण-पोषण के लिये आदेश

अप्रैल 1984

न्यायमूर्ति के० के० मैथ्यू

सं फा 2(14)/83-वि आ अध्यक्ष विधि आयोग भारत सरकार भास्ती भवन, नई दिल्ली 17 अप्रैल, 1984

प्रिय मती महोदय,

में इसके साथ विधि आयोग की अठानवेवी रिपोर्ट भेज रहा हूं जो "हिन्दू दिवाह श्रधि-नियम, 1955 की धारा 24 से 26 तक : अंतरिम भरण-पोषण के लिए आदेश और वैवाहिक कार्यवाहियों में अपत्यों का भरण-पोषण" के संबंध में है।

विधि आयोग ने इस विषय को स्वयं चुना था। इस विषय पर कार्य आरंभ करने की आवश्यकता को रिपोर्ट के अध्याय। में स्पष्ट किया गया है।

आयोग श्री पी० एम० बख्शी, अंशकालिक सदस्य और श्री ए० के० श्रीनिवासमूर्ति, सदस्य-सचिव का आभारी है जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार करने में अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

सादर,

आपका

हस्ताक्षर

(के० के० मैथ्यू)

श्री जगन नाथ कीशल, विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री, नई दिल्ली ।

संलग्न : 98वीं रियोर्ट ।

	विषय सूची	वृत्ठ
अध्याय 1	प्रस्तावना	1
अध्याय 2	हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26	2
अध्याय 3	बिना औपचारिक आवेदन के अपत्यों का भरण-पोपण	4
अध्याय 4	अन्तरिम भरण-पोषण : प्रभावी तिथि	6
अध्याय 5	अपील पुनरीक्षण और प्रवर्तन	8
अध्याय 6	कार्यकारी पत्न पर प्राप्त टिप्पणिया	9
अध्याय 7	संस्तुतियां ।	13

प्रस्तावमा

1. 1 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों से संबंधित कतिपय प्रकृत और अधिनियम के अन्तर्गत अपत्यों के भरण-पोषण संबंधी आदेश ही इस रिपोर्ट के विषय हैं । सुसंगत कानूनी प्रावधानों में उत्पन्न अनेक बिन्दुओं पर विनिष्टिचयों में विरोध होने के कारण यह उचित ही है कि इन्हें विधायी संशोधनों द्वारा तय कर दिया जाय । कुछ अन्य हिन्दुओं पर भी निर्णयन विधि और अधिनियम पर लखों में चर्चा हुई है । इत चर्चाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए । आयोग को हिन्दू विवाह अधिनियम पुर विचार प्रकट करने के अन्य भी एकाधिक अवसर प्राप्त हुए हैं, वेकिन प्रस्तुत अध्ययन के अन्तर्गत आने वाले बिन्दु पर पहले कभी भी पूर्व रिपोर्टों में विचार नहीं किया गया जिनमें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सर्वेक्षण ही था।

1. 2 आगे आने वाले अध्यायो में जिन प्रश्नों पर विचार किया जाना प्रस्तावित हैं वे मुख्यतः प्रक्रिया विकारणीय विषय: चनकी प्रगति। संबंधी प्राकृति के हैं, किन्तु ये प्रश्न हिन्दू विवाह भिधनियम के अन्तर्गत वैवाहिक कार्यवाहियों में व्यवहार में प्रतिदिन उठते रहते हैं । वैसे भी चूकि ये प्रश्न पति-पत्नी और अपत्यों के भरण-पोषण से संबंधित हैं इसलिये इनका अपना ही व्यवहारिक महत्व है।

अतः यह वांछनीय है कि इस विषय पर कानून तय हो और पूरे देश में एक रूप हो और उसे अधिनियम में सम्मिलित कर दिया जाय । इन्हीं कारणों से आयोग ने प्रस्तुत रिपोर्ट में हिन्दू विवाह अधिनियम की सुसंगत धाराओं पर विचार करना आवश्यक समझा ।

1. 3 इसी स्थान पर यह बताना उपयुक्त होगा कि इस रिपोर्ट के विषय पर ही आयोग ने एक कार्य- आयोग कारा भेजा कारी पत्न तैयार किया था और उसे प्रसारित किया था³ । जिसमें सुसंगत कानूनी प्रावधानों से उत्पन्न ^{गया कार्य कारी पक्ष ।} प्रश्न और संभावित समाधान भी दिये गये थे । इस कार्यकारी पन्न पर प्राप्त टिप्पणियों की इस रिपोर्ट में उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की जावेगी । इस समय इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कार्यकारी पत्न पर प्राप्त सारी टिप्पणियां इस रिपोर्ट द्वारा अधिनियम में संशोधन के लिये सुझायी गयी दिशा से सहमत हैं। आयोग ऐसे सभी लोगों के प्रति आभारी है जिन्होंने कार्यकारी पत्न पर उत्तर भेजे हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26 ।

² भारत का विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954) तथा 71वीं रिपोर्ट (हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 विवाह का पूर्णतः भंग होना तलाक के एक आधार के रूप में) ।

³ हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26 पर कार्यकारी पत्त; वैवाहिक कार्यवाहियों में अपत्यों के भरण-पोषण के लिये आदेश तथा अंतरिम भरण-पोषण के आदेश।

^{4.} अध्यस्य ६ भागे ।

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 से 26

हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 24 । 2.1 मुख्य प्रश्न पर विचार करते से पूर्व यह उपयुक्त होगा कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के सुसंगत प्रावधानों को देख लें।

नीचे उद्धत अधिनियम की धारा 24 में वादलम्बित रहते भरण-पोषण और कार्यवाहियों के द्यय की चर्चा की गयी है।

"24 जहां कि इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी कार्यवाही में न्यायालय को यह प्रतीत हो कि यथास्थित पित या पत्नी की ऐसी कोई स्वतंत्र आय नहीं है जो उसके संभाल और और कार्यवाही के आवश्यक व्ययों के लिये पर्याप्त हो वहां वह पित या पत्नी के आवेदन पर प्रत्यर्थी को यह आदेश दे सकेगा कि वह अर्जीदार को कार्यवाही में होने वाले व्यय तथा कार्यवाही के दौरान प्रति मास ऐसी राणि संदत्त करे जो अर्जीदार की अपनी आय तथा प्रत्यर्थी की आय को देखते हुये न्यायालय को युक्ति-युक्त प्रतीत हो।"।

इसे ध्यान रखा जाय कि यह धारा पति-पत्नी भरण-पोषण (वाद लम्बित रहते) तक ही सीमित है । यह अपत्यों से संबंधित नहीं है । इसमें यह आवश्यक नहीं है कि कोई औपचारिक आवेदन हो ।

हिन्दू विवाह अधिनियम घारा 25 । 2. 2 पति पत्नी के स्थायी निर्वाहिका और भरण-पोषण की चर्चा अधिनियम की धारा 25 में की गयी है जो निम्नवत् है :—

- 25. (1) इस अधिनियम के अधीन अधिकारिता का प्रयोग कर रहा कोई भी न्यायालय डिकी पारित करने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, यथास्थिति, पित या पत्नी द्वारा इस प्रयोजन के लिये किये गये आवेदन पर यह आदेश दे सकेगा कि प्रत्यर्थी उसके भरण-पोषण और संभाल के लिये ऐसी कुल राशि या ऐसी मासिक अथवा कालिक राशि, जो प्रत्यर्थी की अपनी आय और अन्य सम्पत्ति को, यदि कोई हो, आवेदक या आवेदिका की आय और अन्य संपत्ति को तथा पक्षकारों के आचरण और मामले की अन्य परिस्थितियों को देखते हुये न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो, आवेदक या आवेदिका के जीवन-काल से अनिधक अविध के लिये संदत्त करें और ऐसा कोई भी संदाय यदि यह करना आवश्यक हो तो, प्रत्यर्थी की स्थायी संपत्ति पर भार द्वारा प्रतिभूत किया जा सकेगा।
- (2) यदि न्यायालय का समाधान हो जाय कि उसके उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पश्चात् पक्षकारों में से किसी भी परिस्थितियों में तब्दीली हो गई है तो वह कभी पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसी रीति से जो न्यायालय को न्याय संगत प्रतीत हो ऐसे किसी अ देश में फेरफ़ार कर सकेगा या उसे उपान्तरित अथवा विखंडित कर सकेगा।
- "(3) यदि त्यायालय का समाधान हो जाय कि उस पक्षकार ने जिसके पक्ष में इस धारा के अधीन कोई आदेश किया गया है पुर्निववाह कर लिया है या यदि ऐसा पक्षकार पत्नी है तो वह सतीवता नहीं रह गई है या यदि ऐसा पक्षकार पित है तो उसने किसी स्त्री के साथ विवाह बाह्य मैथुन किया है, तो वह दूसरे पक्षकार की प्रेरणा पर ऐसे किसी आदेश की ऐसी रीति में, जो न्यायालय न्याय संगत समझे, परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित कर सकेगा।"।

यह धारा भी पित पत्नी तक ही सीमित है और औपचारिक आवेदन को आवश्यक समझता है। यह स्थायी भरण-पोषण तक सीमित है जबकि धारा 24 अन्तरिम भरण-पोषण तक सीमित है।

हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 26। 2.3 अपत्यों ते संबंधित अंतरिम आदेश और कार्यवाही के समाप्त होने पर पारित होने वाले आदेश दोनों की ही चर्चा हिन्दू विवाह अधिनियम की घारा 26 में की गयी है। घारा निम्नस्थ है :—

"26 ईस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में न्यायालय अप्राप्तवय अपत्यों की अभिरक्षा, भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में, यथा संभव उनकी इच्छा के अनुकूल समय-समय पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिकी में ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जिन्हें वह

न्याय संगत और उचित समझे और डिकी में एसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्याय संगत और उचित समझे और डिकी के पश्चात् इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किये गये आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में समय-समय पर ऐसे आदेश और उपबंध कर सकेगा जो ऐसी डिकी अभिप्राप्त करने की कार्यवाही के लिम्बत रहते ऐसी डिकी या अन्तरिम आदेश द्वारा किये जा सकते थे और न्यायलय पूर्वतन किये गये ऐसे किसी आदेश या उपबन्ध को समय-समय पर प्रतिसंहत या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फ़ेरफ़ार कर सकेगा"।

इस धारा का पहला भाग जिसमें अंत्रिम भरण-पोषण की व्यवस्था है, में आवेदन की आवश्यकता नहीं हैं। दूसरे भाग में भी जो कार्यवाही के समाप्त होने पर अपत्यों के भरण-पोषण से संबंधित हैं आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है।

2.4 इसमें दिखाई देगा कि-

पति-पत्मी और अपत्यों हे लिये अलग धार्रा ।

- (i) पति-पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण और अपत्यों के अंतरिम भरण-पोषण की चर्ची अधि-नियमों की दो भिन्न धाराओं (धारा 24 और 26 में ऋमणः) में की गयी है।
- (ii) इन धाराओं में से एक (धारा 24) में आवेदन की चर्चा है, किन्तु दूसरी (धारा 26) धारा में इसकी आवश्यकता नहीं है (अंतरिम आदेशों से संबंधित भाग में)।

प्रकटतः यह बहुत छोटा मामला है जिसका जित्र यहां इसलिये किया जा रहा है क्योंकि आगे के अध्यायों में इसी पर चर्चा की जावेगी ।

बिना औपचारिक आवेदन के अपत्यों का भरण-शोषण

अपत्यों का अंतरिम भरण-पोषण ।

3.1 हिन्दू विवाह अधिनियम के उपर चिंतत प्रावधान के सर्दभ में पहला प्रश्न जो उत्पन्न होता है वह यह है—क्या उक्त अधिनियम के धारा 24 के अधीन अपत्यों को धारा 26 के अधीन अलग आवेदन के अभाव में भी अंतरिम भरण-पोषण की सहायता दी जा सकती है 3?

धारा 24 और 26 के संबंध में दिचारों में विरोध ।

- 3. 2 इस बिन्दु पर न्यायिक निर्णयों में विरोध है। अधोलिखित उच्च न्यायालयों का विचार है कि धारा 26 के अधीन अपत्यों के भरण-पोषण के लिये अलग से आवेदन न होने पर भी न्यायालय को धारा 24 के अधीन पत्नी द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाही पर अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिये और अपत्यों को भरण पोषण दिया जाना चाहिये।
 - (1) आन्द्रा प्रदेश⁴
 - (2) दिल्ली⁵
 - (3) कर्नाटक⁶
 - (4) केरल⁷
 - (5) पंजाब और हरियाणा⁸ और
 - (6) राजस्थान⁹
- 3.3 इसके विपरीत धारा 26 के अधीन बिना औपनारिक आवेदन के इस प्रकार की शक्ति का न्यायालय द्वारा प्रयोग नीचे दिये उच्च न्यायालयों द्वारा मना किया गया है।
 - (i) जम्मू और कश्मीर 10
 - (ii) ओडिसा 11 और
 - (iii) पटना¹²

निर्णयन विधि का पुन-विलोकन । 3.4 इस विषय पर निर्णयन विधि की विस्तृत चर्चा कुछ व्यवस्थाओं में की गई है जिनमें से आंध्र प्रदेश¹³ की व्यवस्था अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। संयोग से केरल के निर्णय¹⁴ जिसमें उदार विवार का समर्थन किया गया था, पर एक ला जर्नल¹⁵ में प्रकाशित लेख में पक्ष और विपक्ष में बहुत टिप्पणियां की गयी हैं।

^{.1.} अध्याय 2 अपर

²· अनु**च्छेद** 2.2 ऊपर

^{3·} अनुच्छेद 2.3 कपर

⁴ नरेन्द्र कुमार वि. सूरज मेहता ए. आई. आर. 1982 सां. प्र. 100

⁵ दामोदर वि . विमला [1974 पी. एल. आर. (दिल्ली)]

⁶ ही. थिसप्पा वि. नागवेन ए. आई. आर. 1976 कर्नाटक 215 सुभाषिणी वि. उमाकान्त ए. आई. आर. 1981 कर्नाटक 115

^{7.} राधाकुमारी वि. के. एम. के. नायर 1982 केरल ला टाइम्स 417

^{8·} बुलवीरकौर वि. रघुवीर ए. आई. आर. 1974 पंजाब और हरियाणा 225

^{9.} बाबुलाल वि. प्रेमलता ए. आई. आर. 1974 राज्य 93.

^{10.} पूरतचंव वि. कमला देवी ए. आई. आर. 1981 जे. के. 5

^{11.} अकसम चिन्नाबावू वि. असकम पार्वती ए. आई. आर. 1967 ओडिसा 163

^{12.} वंकिम जंद्र वि. अंजली ए. आई. आर. 1972 पटना 80

^{13.} नरेन्द्र कुमार विण सूरण महेता ए. आई. आर. 1982 आ. प्र. 100

¹⁴ राघाकुमारी वि. के. एम. के. नायर 1982 के एल टी 417

¹⁵ पी. भी. अयप्पन श्री एस. बाब चन्द्रन श्री सी. बी. मैच्यू और श्री भी. भे. मैच्यू के लेख 1982 में. एल. टी. जनेंच के पृष्ठ 65,79,83 और 90 पर देखें।

3. 5 पूर्व चिंचत निर्णयन विधि हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन अपत्यों के अंतरिम भरण-पोषण अन्य प्रश्न धारा 26 के के आदेश से ही विश्वत हैं। कुछ इसी प्रकार का न्यायिक विवाद अपत्यों के स्थायी भरण-पोषण के आदेश भरण-पोषण के लिये क को लकर भी उत्पन्न हुआ है। ठीक-ठीक प्रश्न निम्नलिखित है।

क्षावेदन आवश्यक है।

पत्नी के द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 25 के अधीन दिये गये आवेदन पर चाहे पत्नी के आवेदन में धारा 26 का सुनिश्चित उल्लेख न हो, क्या अपत्य के लिये भरण-पोषण की सहायता (हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26) दी जा सकेगी ?

मद्रास उच्च न्यायालय 1 के अनुसार यह किया जा सकता है। बम्ब \S^2 और गुजरात 3 उच्च न्यायालय के अनुसार यह नहीं किया जा सकता है।

3 6 दोनों प्रश्नों पर विचार करने पर जिनके कारण ऊपर विणत कितिनाई पैदा हुई है यह स्पष्ट हिन्दू विवाह अधिनियम होगा कि दोनों ही प्रश्नों पर कानूनी स्थिति को तय करने की आवश्यकता है क्योंकि यह फिर बार-बार की धारा 26 में संशोधन उत्पन्न होने वाले प्रश्न हैं। जहां तक संशोधन का क्षेत्र है यह अच्छा होगा कि हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 26 के अधीन⁵ न्यायालय की अधिकारिता को विस्तृत कर दिया जाय जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि इसके अधीन अधिकारिता का प्रयोग आवेदन या बिना आवेदन के किया जा सकता है।

इस उद्देश्य की प्राप्ति हिन्दू विवाह अधिनियम⁶ की धारा 26 में समय-समय पर शब्दों के पश्चात् और अप्राप्त वय अपत्य की ओर से इस उद्देश्य के लिये कोई आवेदन किया गया है अथवा नहीं, ग्रब्द को जोड़ देने से हो जायेगा । इस प्रकार का संशोधन यह स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा कि (i) अपत्यों के संबंध में अंतरिम आदेश (ii) और उनके संबंध में स्थायी आदेश बिना औपचारिक आवेदन के किया जा सकेगा । निसंदेह न्यायालय ऐसे आदेश तभी पारित करेगा जब अपत्य हो और अपत्यों के अभिरक्षण शिक्षा और भरण-पोषण की आवश्यकता वर्तमान हो।

धारा का संशोधन करते हुये इसकी आवश्यकता पर सुनिश्चित रूप से बल देने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दशा में धारा में न्यायालय की अधिकारिता का वर्णन किया गया है न कि कर्तव्य का धारा 26 का वर्तमान रूप पाठक पर कुछ ज्यादा ही जोर डालता है । अतः धारा को उपधाराओं में तोड़ने का भी यही अवसर है , जिससे पढ़ने में अधिक सुविधा हो ।

^{1.} मुन्तु स्वामी राजू वि. हंसारानी ए. आई. आर. 1975 मद्रास 15

^{2.} डल्लीराम जैन वि. तारावती ए. आई. आर. 1962 बम्बई 15

³ धरमंशी प्रेम जी बाई सरकार कान जी ए. आई. आर. 1968 गुजरात 150

^{4,} ऊपर अनुचेछेद 3.1 और 3.5

^{5.} जपर अनुच्छेद 2.3

⁶ अपर अनुच्छेद 2.6

अंतरिम भरण-पोषण : प्रशाबी तिथि

प्रभावी तिथि।

4. 1 हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 25 से ही दूसरा प्रश्न उत्पन्न होता है जो न्यायालय द्वारा स्वीकृत अंतरिक भरण-पोषण के प्रभावी होने की तिथि से संबंधित है। क्या यह भरण-पोषण याचिका के संबंध की तामील होने की तिथि से ही प्रदान किया जा सकता है ? अथवा क्या यह अंतरिक सहायता के आवेदन (जहां इस प्रकार का आवेदन किया गया हो) प्रस्तुत करने की तिथि से स्वीकार किया जाना चाहिये? अथवा, अंतरिम सहायता के आदेश की तिथि से प्रभावी होना चाहिये ? हिन्दू विवाह अधि_ नियम की धारा 24 और 26 इस संबंध में मीन हैं और न्यायालय को किसी सुनिश्चित तिथि से बद्ध नहीं करती है। फ़िर भी इस संबंध में कुछ अनिश्चितता ही है जैसा निम्न परिच्छेद में संक्षिप्त रूप में दिये निर्णयन विधि से स्पष्ट हो जायेगा।

एक दृष्टिकोण मुख्य याचिक की तामील की तिषि ही प्रभावी तिथि।

- 4. 2 कुछ उच्च न्यायालयों के अनुसार मुख्य याचिका के समन की तामील की तिथि ही अंतरिम भरण-पोषण के आदेश के प्रभावी होने की तिथि हो सकेगी। ऐसा दृष्टि कोण निम्न लिखिल उच्च न्यायालयों का है
 - (1) कलकत्ता
 - (2) दिल्ली²
 - (3) केरल 3
 - (4) मैसूर⁴ और
 - (5) पंजाब और हरियाणा 5

दूसरी दृष्टिकोण विवाधकों की तिथि श्रमाबी विथि।

4. 3 दूसरा दृष्टि कोण है कि आदेश की प्रभावी तिथि मुख्य याचिका के बाद की तिथि हो सकती हैं। इस प्रकार जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय के एक निर्णय⁸ के अनुसार विवाधकों की संरचना (मुख्य पाचिका में) किये जाने की तिथि से ही भरण-पोवण की अदायगी होसी चाहिये।

तीसरा दृष्टिकोण अंतरिम सहायता के लिये आवेदन की तिथि ही प्रभावी तिथि।

4. 4 आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय⁷ के अनुसार दम्पत्ति द्वारा धारा 24 के अधीन अंतरिम सहायता के लिये आवेदन की तिथि से ही भरण-पोषण देय है। ऐसा निर्णय देने की पृष्ठ भूमि में यह विचार है कि ऐसा न होने से प्रत्यर्थी मुख्य समन की तामीली को टालकर आवेदन को प्रभावहीन बना देगा ।

अपील में भरण-पोषण्।

4.5 इसी प्रकार का विवाद अपील के प्रकम में भरण-पोषण दिये जाने की तिथि के संबंध में उत्पन्न हो गया है⁸। इलाहाबाद के एक मुकदमें में वाद विलम्बित रहने तक का निर्वाह व्यय का दावा अपील में किया गया था और अपील के प्रस्तुती करण की तिथि के (भूतलक्षी तिथि से) स्वीकृत किया गया था । किन्तु आन्ध्र प्रदेश की एक व्यवस्था के अनुसार 10 अंतरिम भरण-पोषण का आदेश अपील की नोटिस की तामील की तिथि के पहले की तिथि से प्रभावी नहीं हो सकता है।

स्मीर बनर्जी वि. सुजाता बनर्जी 1966 (70) कलकत्ता वीकली नोट्स 642 शोभना वि. अमरकान्ता ए. आई. आर. 1959 कलकत्ता 455

² गंजना देवी वि. पुरूषोतम ए. आई. आर. 1977 दिल्ली 178

उ राधाकुमारी ति. के. एम. एन. नायर 1982 केरल ला लाइम्स 417, 424 अनु. 26

⁴ एम. सन्नमनयम् वि. एम. सी. सरस्वती ए. आई. आर. 1964 मेसूर 38

⁵ सरिता मेहता वि. अरविन्दु कुमार मेहता 1978 (8) पंजाब ला रिपोर्ट 913

पूरतचंद वि. कमला ए. आई. आर. 1981 जम्मू कश्मीर 5 (राज्य अधिनियम के तदनुरूप प्रावधान पर निर्णय)

^{7.} नरेन्द्र कुमार वि. सूरण मेहता ए. आई. आर. 1928 आ. प्र. 100,106 अनुच्छेद 18

⁸ अपील के प्रकम के लिये देखें -- तरलोचन सिंह वि. मोहिन्दर कौर ए. आई. आर. 1963 पंजाब 249, 250

^{9.} महाबीर प्रसाद वि. पुष्पमाला (1970) इलाह,बाद ला जर्नल 1406

¹⁰ सुन्वाराव वि. अनुसूयम्मा ए. आई. आर. 1957 आं. प्र. 170

4.6 ऐसी अवस्था में यह वांछनीय है कि सुनिश्चित कानून हिन्दू विवाह अधिनियम में एक प्रावधान हिन्दू विवाह अधिनियम में एक प्रावधान में धारा 26 अ ओड़कर जोड़कर बना दिया जाय जिसे हम धारा 26 क कहें—इसके द्वारा यह स्पष्ट कर दिया जाय कि धारा संशोधन करने की आव-24 के अधीन (पति-पत्नी) अथवा धारा 26 के (अपत्यों) अधीन अंतरिम भरण-पोषण का आदेश-- श्यकता।

- (क) उस तिथि से जो तिथि धारा के अधीन आवेदन के पूर्व नहीं हो और जिसे न्यायालय परिस्थितियों में न्याययुक्त और उचित समझे।
- (ख) अथवा, जहां धारा 26 के अधीन आवेदन नहीं दिया गया हो वहां मुख्य कार्यवाही जिस याचिका के आधार पर प्रारम्भ की गई है उसकी नोटिस की तामील की तिथि से (उसके पूर्व की किसी तिथि से नहीं) यदि न्यायालय परिस्थितियों में न्याययुक्त और उचित समझें; प्रभावी किया जा सकेगा।

अध्यायः 5

अपील पुनरीक्षण और प्रवर्तन

भपील, पुनरीक्षण (अंतरिस आदेश)।

5.1 हिन्दू विवाह अधिनियम के अधीन पारित अन्तरिम भरण-पोषण के आदेशों के विरुद्ध पुन-रीक्षण की सक्षमता के विषय में प्रश्न उठाये गये हैं। हमने इस बात पर कुछ विवार किया है और इस परि-णामपर पहुंचे हैं कि धारा 28 के संशोधन के पश्चात् इस संबंध में कोई कठिनाई या अस्पष्टता नहीं रहनी चाहिये। संक्षेप में यदि कहा जाय तो संशोधित धारा 28 से जो स्थित स्पष्ट होती है उसके अनुसार अंतरिम भरण-पोषण का आदेश अपील योग्य नहीं है। अतः इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध कानन में पुनरीक्षण अनुज्ञेय है । किन्तु यह उसी अवस्था में है जब उच्च न्यायालय के विवेक के अनुसार बाद विशेष की परि-स्थितियों में इस वाद में पुनरीक्षण द्वारा हस्तक्षेप करना उपयुक्त हो। इस स्थिति में किसी भी संशोधन द्वारा सुधार या बदल नहीं किया जा सकता है। अतः हम किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं करते हैं।

हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28क के अधीन प्रवर्तन और प्रवर्तन के अन्य तरीके। 5. 2 अंतरिम भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन के तरीकों पर भी प्रश्न उठाये गये हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 28क (जैसा जोड़ा गया है) के अधीन इस अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित सभी डिकी और आदेश उसी प्रकार प्रवर्तित किये जाएंगे जिस प्रकार मौलिक दीवानी अधिकारिता के अन्तर्गत न्यायालय तत् समय लागू कानून के अधीन प्रवर्तित करता है। सभी व्यवहारिक उद्धेश्यों के लिये इतना कहना ही पर्याप्त है।

प्रवर्तन के अन्य तरीके।

5. 3 इसके यह कदापि अर्थ नहीं है कि प्रवर्तन के अन्य तरीके आवश्यक रूप से प्रति-बंधित है। ये अन्य तरीके उदाहरणार्थ (क) कार्यवाही का स्थान—जहां अंतरिम भरण-पोषण की अदायगी करने वाला पक्ष व्यतिक्रम करता है और वहीं पक्ष मुख्य कार्यवाही में अर्जीदार है (ख) सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 151 के अधीन प्रतिरक्षा को काट दिया जाय जहां अंतरिम भरण-पोषण की अदायगी करने वाला पक्ष अदायगी में व्यवितक्रम करता है और वह ही मुख्य याचिका में प्रत्यर्थी है (ग) अवमान के लिये सजा है।

प्रवर्तन के लिये संगोधन की आवश्यकता नहीं।

5. 4 ऐसी अवस्था में अन्तरिम भरण-पोषण के आदेशों के प्रवर्तन के तरीकों के प्रश्न पर किसी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं मालूम होती है।

आपराधिक उत्तरदायित्व के संबंध में विधि आयोग की पूर्व रिपोर्ट ।

5. 5 भरण-पोषण के आदेशों और उनके प्रवर्तन के विषय पर हम बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व विधि आयोग ने किन्हीं परिस्थितियों में भरण-पोषण या पन्नी की न्यायालय द्वारा कतिपय कानूनों के आधीन स्वीकृत की गयी स्थायी निर्वाहिका की अदायगी में व्यतिकृम होने पर आपराधिक उत्तरदायित्व की संस्सुति की थी। किन्तु रिपोर्ट को अभी लागू होना है।

- मेरल ला टाइम्स में प्रकाशित लेख देखें ऊपर के अनु च्छेद 3. 4 की पांद टिप्पणी देखें
- ² नरेन्द्रकुमार वि. सूरज मेहता ए. आई. आए. 1982 सान्ध्र प्र. 100
 - 3. (फ) कलकन रानी नि. किशन कुमार ए. आई. आर. 1961 पंजाब 42
 - (ख) अनिता वि . बीरेन्द्र ए. आई. आर. 1962 कलकत्ता 88
 - (ग) भूनेश्वर वि. द्रोपता बाई ए. आई. आए. 1976 म. प्र. 259
- 4. (क) जयसिंह वि. बिमी भिकल् ए. आई. आर. 1978 हि. प्र. 45,49,50 अनुच्छेद 30
 - (ख) रामस्वरूप वि. जानकी ए. आई. आर. 1973 पंजाब 40 ू
 - (ग) अनुराधा वि. संतोष नाथ ए. आई. नार 1976 विल्ली 240 है
- 5 रामस्वरूप वि. जानकरी ए. आई. गार. 1976 पंजाब 210
- 6 भारत के विधि आयोग की 73 वी रिपोर्ट (न्यायालय द्वारा किन्हीं कानुनों के अधीन पत्नी को स्थायी निर्वाहिका अधवा भरण-पोषण की अवायगी में असफल होने पर आपराधिक दायित्व)

कार्यकारी पत्र पर प्राप्त टिप्पणियाँ

6.1 प्रस्तावना वाले अध्याय में जैसा कहा है हमने कानून विज्ञ व्यक्तियों और संस्थाओं को इस रिपोर्ट के विषय पर उनके विचारों को आमंत्रित करने के लिये एक कार्यकारी पत्न प्रसारित किया था। यह प्रार्थना की गई थी कि 31 जनवरी 1984 तक उनके विचार आयोग को अवश्य प्राप्त हो जाये। रिपोर्ट को अंतिम रूप से देने से पूर्व रिपोर्ट के हस्ताक्षरित होने तक प्राप्त सभी उत्तरों का इसमें ध्यान रखा गया है।

कार्यकारी पत्न पर टिप्पणियां।

6.2 कार्यकारी पत्न पर कुल मिलाकर दस उत्तर प्राप्त हुये । इनमें से दो उत्तर उच्च न्यायालयों के चार राज्य सरकारों के उत्तर राज्य विधि आयोग का, एक उत्तर एक अधिवक्ता का एक उत्तर सामाजिक संघटन का तथा एक उत्तर मद्रास के एक सज्जन का है । इनमें से करीब करीब सभी आयोग द्वारा सुझाये गये मार्ग पर हिन्दू विवाह अधिनियम में संशोधन करने से सहमत हैं।

प्राप्त उत्तर।

6.3 राज्य विधि आयोग के कार्यालय से प्राप्त एक टिप्पणी में यह कहा गया है कि धारा 28 का क्या संशोधन आवण्यक संशोधन आवण्यक नहीं है। इस टिप्पणी को अभी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त नहीं है (ऐसा कहा है। गया है) इस संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि हम धारा 28 के संशोधन करने की संस्तुति कर रहे हैं । गया है) इस संदर्भ में यह बताना उचित होगा कि हम धारा 28 के संशोधन करने की संस्तुति कर रहे हैं । हम हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24 और 26 से संबंधित मामलों को ध्यान में रखकर संशोधन करने की संस्तुति करने जा रहे हैं क्यों कि इस रिपोर्ट के सुसंगत अध्यायों अीर निर्णयन विधि पर चर्चा के अनुसार यह आवश्यक है।

कार्यकारी पत्न पर प्राप्त टिप्पणियों में अधिनियम को संशोधित करने की आवश्यकता से सहमत होने के साथ-साथ कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिये गर्ये हैं। इन पर हम आगे आने वाले रिपोर्ट के अनुच्छेदों पर विवार करेंगे 12।

6. 4 आयोग द्वारा प्रसारित किये गये कार्यकारी पत्न पर दो उच्च न्यायालयों में से एक उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय। ने उत्तर में कोई विचार नहीं भजे हैं ¹³। जबकि दूसरा उच्च न्यायालय ने न आयोग द्वारा निर्दिष्ट बिन्दुओं पर अधिनियम को संशोधन किये जान से सहमित प्रकट की है।

6.5 कार्यकारी पत्न पर उत्तर भेजने वाली सभी चारों राज्य सरकारों ने संशोधन की आवश्यकता से अपनी सहमति प्रकट की है। इनमें से एक में कुछ अतिरिक्त सुझाव भी दिये हैं जिसकी चर्चा उपयुक्त स्थान पर की जावेगी 16।

राज्य सरकार

^{1.} ऊपर देखें अनुच्छेद 1.3]

² विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क. सं. 5 और 10

^{3.} विधि मायोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क. सं. 6, 7, 8, और 11.

विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क. सं. 9

⁵ विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. फ. सं. 4

⁶ विधि आयोज फाइल सं. 2(14)/83-एल. सी. कः सं. 3

⁷⁻ विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83-एल.सी. क. सं. 12

^{8.} विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क. सं. 8 मध्य प्रदेश विधि आयोग

अपर अध्याय 5 देखें

¹⁰ अध्याय 7 आगे देखें

^{11∵}अध्याय 2-4 ऊपर देखें

¹² अनु च्छेद ६. ६. आगे देखें

^{13.} विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83 एल. सी. क. सं. 5

¹⁴ विधि आयोग फाइल सं. 2(14) 83/एल. सी. क. सं. 10

¹⁵ विधि आयोग फाइल सं. एफ. 2(14)/83 एल सी क. सं. 6, 7, 8 और 17

¹⁶ अनु च्छेद 6, 10 से 6, 14 आगे देखें

स्रतिरिक्त विचार भरण-पोषण की डिकी का निष्पादम ।

6.6 कुछ उत्तरों में प्राप्त अतिरिक्त सुझावों पर अब हम विचार करते हैं। हम सर्वप्रथम दो उत्तरों का उत्तरें का उत्तरें कि निर्मा के परण-पोषण के लिये प्राप्त डिकी और आदेशों के निष्पादन में हो वाली देर और किताइपों के प्रति चि/ता प्रकट की गई है। इनमें से एक उत्तर मध्य प्रदेश के एक अधिवक्ता का है जिन्होंने कहा है कि अत्यंत हीन आधिक अवस्था के कारण महिलायें अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष समुचित ढंग से रखने में असमर्थ हैं। यह विचार इस रिपोर्ट के क्षेत्र के बाहर है किन्तु उपयुक्त अधिकरणों द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिये। दूसरा उत्तर जो अधिक विस्तृत है—ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम (धर्म और समाज के अध्ययन के लिये इसाई संस्थान) नई दिल्ली द्वारा प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा दिये गये सुझाव अधिक विस्तृत हैं और इनकी आने वाले कुछ अनु च्छेदों में चर्चा की जावेगी ।

पति कें उपार्जन की कुकी ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम (सी. बाई. एस. आर. एस.) का सुझाव।

6.7 ज्वाइन्ट वीमें त्स प्रोग्राम नई दिल्ली जिसका अपर उल्लेख है ने अपने उत्तर में इस बात पर जोर दिया है कि दंड विधि प्रक्रिया संहिता 1973 तथा अन्य अनेक वैयक्तिक कानूनों के अधीन दिलाया गया भरण-पोषण परिवयक्तापत्नी को पर्याप्त सर्वेक्षण प्रदान नहीं करता है परिव्वयक्ता पत्नी और अपत्य की रक्षा के लिये तथा पत्नी को मिलने वाली अनुतोष को अधिक प्रभावी बनाने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि पित के वेतन से भरण-पोषण की धनराशि निकाल लिये जाने का प्रावधान होना चाहिये यदि पित किसी शासकीय या जन अथवा वैयक्तिक क्षेत्र के संस्थान में कार्यरत है। यदि पित स्वयं रोजगार कर रहा है अथवा वह लापता है तो ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिये (ऐसा सुझाव दिया गया है) कि राज्यसरकार भी परिव्यक्त परिवार की रक्षा के लिये एक पक्ष हो सके।

भरण-पोषण की डिकी और आदेशों के उजित रूप से प्रवंतन की आवश्यकता के लिये इस प्रकार की संस्थाओं की जिता और गनता की हम सराहना करते हैं। इन संस्थाओं द्वारा उठाये गये कुछ बिन्दु दृष्टांत के लिए सुनिश्चित मामलों में परिज्यक्त परिवार के संरक्षिण का भार राज्य द्वारा वहन किया जाय ऐसा विचार है जो हिन्दू विवाह अधिनियम अथवा अन्य विवाह संबंधी किसी भी कानून के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन हम इंगित करना चाहते हैं कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 चूक करने वाले का बेतन या अन्य आय के श्रोतों को कुर्की करने में पर्याप्त रूप सक्षम हैं। चूक करने वाले का बेतन या अन्य आय के श्रोतों को कुर्की करने में पर्याप्त रूप सक्षम हैं। चूक करने वाले निर्णीत भरणी की सभी व्ययन-शील संपत्ति भरण-पोषण के आदेश या डिकी के निष्पादन को संहिता के अधीन कुर्क किया जा सकता है। इसके अन्तर्गत बेतन अथवा अन्य नियत कालिक उपार्जन सभी आते हैं। इसमें केवल एक उपबंध है और वह बेतन के संबंध में है जिसमें बेतन का एक सुनिश्चित भाग कुर्की के छूट प्राप्त है। वर्तमान विधि के अधीन भरण-पोषण की डिकी बेतन का एक सिहाई भाग छूट प्राप्त है। यहां यह बताना उज्जित होगा कि सिहता में (1) शासकीय अथवा अन्य कर्मचारियों के बेतन की (2) और स्वयं रोजगार रत बिना बेतन के आय वाले अन्य व्यक्तियों के कुर्की की प्रक्रिया के संबंध में सुनिश्चित प्रावधान है। हम आशा करते हैं कि कानून की अधिक जानकारी के साथ-साथ इन प्रावधानों की जानकारी अधिक होती जायेगी।

पति के भारत से बाहर रहने पर कास्तियों की घोषणा।

6.8 इसी संख्या ने 8 (ज्वाइंट वीमेन्स प्रोग्राम नई दिल्ली) ने यह भी कहा है कि देश से बाहर रह कर आजीविका कमाने वाले पुरूष भारत में स्तियों से संदेहास्पद और प्रवंचक तरीकों से विवाह कर लेते हैं ऐसे लोग, ऐसा कहा गया है, विवाह के बाद पत्नी को छोड़ देते हैं और परिव्यक्त पत्नी बिना किसी आजीविका या भरण-पोषण के साधन के रह जाती है। इस कमी को दूर करने के लिये यह सु झाव दिया गया है कि पति को अपनी आस्तियों की घोषणा करनी चाहिये और पत्नी के भरण-पोषण के लिये विवाह के समय ही प्रावधान करना चाहिये। यद्यपि हम ऐसी परिस्थितियों में स्लियों के संरक्षण की आवश्यकता की सराहना करते हैं। फिर भी हमें यह ध्यान देना चाहिये कि यह सुझाव व्यवहारिक होने पर भी इस रिपोर्ट की परिधि के बाहर है।

^{1.} विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. क. सं. 4 (मध्य प्रदेश के एक अधिवक्ता)

^{2.} विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(4)/83-एल. सी. क. सं. 3 (ज्वाइन्ट वीमेन्स प्रोग्राम सी. आर. एस. आर. एस. नई दिल्ली)

^{3.} अनुच्छेद 6.7 से 6.9 आगे देखें।

^{4.} अनुच्छेद ६. ६, ऊपर देखें ।

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की घारा 60 (1)

सिविल प्रिक्या संहिता 1908 की धारा 60(1) परन्तुक (1) आँर (1क)

^{7.} सिविल प्रित्रया संहिता 1908 का आईर 21 नियम 46 और 48

^{8.} विधि आयोग फाइल सं. 2(14)/83-एल सी क. सं. 3

6,9 उसी संस्था द्वारा अप्राप्तवय अपत्यों के अभिरक्षण के संबंध में सुझाव दिया गर्या है। किन्तु अप्राप्तवय अपत्य का यह सुझाव भी रिपोर्ट की परिधि के बाहर है। संस्था का सुझाव है कि तलाक के मामलों में अपत्य का अभिरक्षण, अपत्य के हितों की सबसे अच्छी देखभाल करने वाले पति या पत्नी को दिया जाना चाहिये और यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अपत्य की सुख और सुविधापूर्ण बढ़ौत्तरी के लिये माता ही प्राथमिक महत्व की है जब तक कि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो³।

6. 10 पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कायकारी पद्म पर अपनी टिप्पणी में अनेक अतिरिक्त विवार कार्यवाही समाप्ति पर दिय (विधायी विभाग में) ³ ⁄ियं गये हैं । इसमें दिये गये विचार कानून में प्रभावी सुधार किये जाने की गहरी इच्छा प्रदर्शित करते हैं ; यद्यपि वे विचार इस रिपोट के क्षेत्र के बाहर है । वास्तव में कुछ मामले तो ऐसे हैं जो विवाह संबंधी कार्यवाहियों के क्षेत्र के बाहर होने के कारण वाद विषय ही नहीं अपनाये जा सकते हैं। इस तथ्य पर बल देते हुवे कि पति-पत्नी के सुख से विहीन घर और परिवक्त पति-पत्नी अपत्य के जीवन को विध्वस्त कर डालते हैं सुझाव में बहुत से मुद्दें उठाये गये हैं जिसका जिक्र हम संक्षेप में करेंगे । पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रथम मुद्दा जो उठाया गया है वह यह है कि आवेदन देने के ऊपर हिन्दू विवाह अधिनियम धारा 26 के पत्रचात्वर्ती भाग के अनुसार भी कोई जोर नहीं दिया जोना चाहिये। (सुनवाई की समास्ति पर भरण-पोषण के लिये पारित होने वाले आदेश) और आवेदन की आवश्यकता को ही छोड़ दिया जाना चाहिये । हमने इस बात पर विचार किया है । व्यवहार में यथार्थ रूप में अनुरूप की गई किसी गंभीर कठिनाई के अभाव में हम इसे छोड़ने (आवेदन देने की आवश्यकता) की संस्तुति नहीं करते हैं। यह मामला स्थायी-भरण-पोषण के आदेश से संबंधित है और यदि उसे रिकार्ड में किसी के आधार पर निपटाया जाता है तो इसमें व्यवहारतः सुविधा ही है।

आवेदन से अभिमुक्ति दियें जाने का सुझाव (पश्चिमी बंगाल सरकार का सुझाव)।

6.11 पश्चिमी बंगाल सरकार के सुझाव में उठाया गया दूसरा मुद्दा यह है कि विवाह संबंधी अभिव्चन में अपत्यों प्रत्येक कार्यवाही में यह स्पष्ट करना आवश्यक होना चाहिए कि क्या पति-पत्नी के बच्चे हैं जिसमें उनकी संख्या, लिंग, आयु, अभिरक्षण, भरण-पोषण और शिक्षण के सबंध में पूर्ण विवरण होना जाहिये। इस सुझाव देने के पीछे यह उद्देश्य है कि अपत्य को यदि उनके प्रति कूर दुर्लक्ष किया जा रहा है। राहत निश्चित रुप से दी जा सके और त्यायालय का ध्यान तुरन्त दिलाया जा सके। ऐसी आशा की गई है कि अभिवचन के प्राप्त होते ही त्यायालय मामले की वांछनीय अत्यावश्यकता को देखते हुए मामले के इस पक्ष पर प्रथमतः ही विचार करे।

में बारे में प्रकटीकरण।

यह सुझाव बहुत ही गंभीरता पूर्वक विचार करने का विषय है। हम इस रिपोर्ट में इस पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि यह सुझाव इस रिपोर्ट के तंग दायरे से बाहर है। लेकिन यह मामला अपत्यों के कल्याण से संबंधित विस्तृत स्तर पर कानूनों के सुधार के समय लिया जा सकता है⁵।

6.12 विधि आयोग के कार्यकारी पल में अंतरिम भरण-पोषण की तिथि के प्रभावी होने की तिथि क्याकार्यवाही के प्रारम्भ के संबंध में सुझाव के ऊपर टिप्पणी करते हुये पश्चिम बंगाल सरकार ने ⁶ सुझाव दिया है कि भरण-पोषण की अदायगी का दायित्व ठीक उसी तिथि से प्रारम्भ होना चाहिए जिस तिथि से भरण पोषण करने के कर्तव्य को भग किया गया है और किष्ट में पड़े पति-पत्नी या अपत्यों के भरण पोषण को छोड़ने या उपेक्षा किये जाने को ही इस संबंध में निकय मानना चाहिए। इस रिपोर्ट के विचारागत प्रावधानी से अथवा हिन्दू विवाह अधिनियम प्रसंपूर्ण रूप से विचार करते समय सुनाये गये परिवर्तनों का हमारे मतानुसार, मेल नहीं बैठता उस अधिनियम के संदर्भ में भरण पोषण के आदेश का प्रक्त इस लिये ही उत्पन्न होता है क्योंकि अधि-नियम द्वारा वैवाहिक राहत की व्यवस्था है। चूकि ईस प्रकार की कार्यवाहियों से विवाह का अस्तित्व ही वाद विषय होता है इसलिये कानून के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि पति-पत्नी के वैवाहिक संबंध भग होने के परिणाम स्वरुप उत्पन्न मामलों पर विचार करे। अतः केवल उतनी ही दूर तक के लिये अधिनियम में भरण पोषण के आदेश प्रदान किये जा सकते हैं। अधिनियम के अधीन अनुतोष प्राप्त

^{1.} विधि आयोग फाइल सं. एफ. 2(14)/83-एल. सी. क. सं. 3 अनुच्छेद 2

^{2.} अपाहिज अपत्यों के लिये अनुक्छेद 6.14 आगे देखें।

विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. क. सं. 6

विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. क. सं. 3

^{5.} भविष्य में विचारार्थ विषय

विधि आयोग फाइल सं. एक 2(14)/83 एल. सी. क. सं. 6

करने के आवेदन की अविध तक के लिये भरण-पोषण का प्रश्न विवाह संबंधी अनुतोष प्राप्त करने के लिये दाखिल की जाने वाली याचिका की आनुसंगिक नहीं है। एक वैवाहिक कार्यवाही पूर्व भरण-पोषण के वकाया के पुनः प्राप्ति के दावों के लिये उपयुक्त कार्यवाही नहीं प्रतीत होती है। तात्विक विधि के अनुसार भरण-पोषण की अदायगी का उत्तरदायित्व अपेक्षा प्रारम्भ होते ही प्रारम्भ हो जाती है। किन्तु इस उत्तर-दायित्व का प्रवंतन करने की मशीनरी वैवाहिक कानून में ही हो यह आवश्यक नहीं है। इसी कारण हम यह मुझाव स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह कहीं बहुत अधिक तकनीकी विषय न बने इसलिये हम यह वताना चाहतें हैं कि हम भरण-पोषण के दावों के जल्द निपटाने के महत्व को किसी भी प्रकार कम आंकने को तैयार नहीं है। इस संबंध में उपयुक्त मशीनरो का प्रावधान हिन्दू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम या (जहां यह अधिनियम लागू नहीं होता है) सामान्य विधि में किया गया है।

स्मियों पर आधिक और मनोवैज्ञानिक दबाव। 6.13 यह सत्य है कि कभी कभी कार्यवाही को दाखिल करने के साधनों के अभाव में और अन्य दबाव के कारण (इसमें स्थियों पर वह मनोवेज्ञानिक दबाव भी सम्मिलित है जिसके कारण वे इस तरह के मामले न्यायालय में नहीं लाना चाहती हैं) एक स्री तुरन्त ही कोई कार्यवाही प्रारम्भ करने में असमें य होती है और इस दरी के कारण भरण-पोषण बकाया हो सकता है। लेकिन यह उचित कारण नहीं है जिसके लिये अधिनियम की व्यवस्था को संग किया जाय।

अपाहिज बच्चे ।

6.14 पश्चिमी बंगाल सरकार ने यह भी सुझाव दिया है कि हिन्दू विवाह अधिनियम में ही अपा-हिल बच्चों के भरण-पोषण के संबंध में प्रावधान किया जाना लाहिये । यह मुद्दा भी सामान्य भरण-पोषण के कानून का प्रका उपस्थित करता है और इस रिपोट में इस पर विचार करना अनुपयुक्त होगा जिसका विचार विषय विवाह संबंधी अनुतोष के परिणाम स्वरूप भरण-पोषण की मशीनरी पर विचार करना है।

^{1.} विधि आयोग फाइल सं. एफ 2(14)/83-एल. सी. 83 क सं. 6

^{2.} वेखें अनुच्छेद 6.12 ऊपर

संस्तुतियां

7.1 अपर के अध्याय में की गई चर्वा के अनुसार और समस्याओं (1) हिन्दू विवाह अधिनियन संस्तुतियां। 1955 की धारा 26 के अधीन अंतरिम भरण-पोषण के लिये क्या औपचारिक आवेदन आवश्यक है ? और (2) अधिनियम के अधीन अन्तरिम भरण-पोषण का आदेश (पित-पत्नी अथवा अपत्थों के लिये) किस तिथि से अभावी हो, पर विचारोपरान्त हमारा मत है कि उपयुक्त दोनों ही बिन्दुओं पर अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये। हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि अधित त्यायपूण और सुविधाजनक मार्ग होगा कि

- (i) इस धारा के उद्देश्य के लिये अंतरिश भरण-पोषण के औपधारिक आवेदन की आवश्यकता की समाप्ति अधिनियम की धारा 26 के संशोधन द्वारा कर दी जाय और इसी समय इस धारा की पठनीयता में सुधार करने के लिये इसे तोड़ दिया जाय।
- (ii) इस धारा में एक नयी धारा (जिसे 26क कहें) जोड दी जाय जिसमें अन्तरिम भरण-गोषण के आदेश के प्रभावी होने की तिथि के संबंध में सुनिध्चित रूप से प्रावधान कर दिया जाना² चाहिये ।
- 7. 2 यदि उपर्युक्त संस्तुति स्वीकार कर ली जावे तो धारा 26 को पुनरीक्षित करने का यहां ठोस हिन्दू विवाह अधिनियम सुझाव दिया जा रहा है :---

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 की पुनरोक्षित धारा 26 (जैशी संस्तुति की जा रही है)

"26 इस अधिनियम के अधीन होने वाली किसी भी कार्यवाही में-

- (क) न्यायालय समय-समय पर अप्राप्तवय अपत्य की ओर से 'वाहे कोई आवेदन प्राप्त हुआ है अथवा नहीं अप्राप्तवय अपत्यों की अभिरक्षा, भरण-गोषण और शिक्षा के बारे में यथा-संभव उनकी इच्छा के अनुंकूल ऐसे आदेश पारित कर सकेगा और डिक्री में ऐसे उपबंध कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत और उचित समझे, और''
- (ख) "डिकी के पश्चात् इस प्रयोजन से अर्जी द्वारा किये गये आवेदन पर ऐसे अपत्य की अभिरक्षा भरण-पोषण और शिक्षा के बारे में समय समय पर ऐसे आदेश या उपबंध कर सकेगा जो डिकी अभिप्राप्ति करने की कार्यवाही के लिम्बत रहते ऐसी डिकी या अंतरिस आदेश द्वारा किये जा सकते थे", और
- (ग) "न्यायालय पूर्वतन किये गये ऐसे किसी आदेश या उपनन्ध को समय समय पर प्रतिसंहत या निलंबित कर सकेगा अथवा उसमें फर फार कर सकेगा।"

हम उपयुक्त भाति धारा 26 को संशोधित किये जाने की संस्तुति करते हैं।

7.3 हम यह भी संस्तुति करते हैं कि हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में एक नयी धारा 26ए जोड़ दी जाय जो निम्न प्रकार हो :---

हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 में नयी धार 26क जोड़ने की संस्तुता

"26क-धारा 24 या धारा 26 के अधीन किये गये अंतरिम भरण पोषण के आदेश को प्रभावी

- (क) यदि न्यायालय परिस्थितियों में न्यायसंगत या उचित समझें तो उस तिथि से किया जाय जो इस धारा के अधीन किये आवेदन की तिथि से पूर्वतन न हो।
- (ख) या जहां धारा 26 के अधीन कोई अर्जी नहीं दी गई है वहां यदि न्यायालय मामले की परिस्थितियों में न्याय संगत और उचित सभन्ने तो—उस तिथि से किया जाय जो मुख्य कार्यवाही के दाखिल किये जाने की नोटिस की तामील की तिथि से पूर्वतन न हो।

^{1,} अनु=छेद 3, 6 सपर

^{2.} अमुच्छेद ४, ६ उ.पर

क्षे० के० मध्युः चेत्रसैन

जे० **पी० चतुर्वेदी** सदस्य

डा॰ **एम॰ वी॰ राय** सदस्य

पी**० एम० बक्सी** अंग्रकालिक सदस्य

वेषा० पी० सारथी अंग हालिक सदस्य

ए० के० श्रीनियास सूति सदस्य सचिव

दिनांक

Price: Inland—Rs. 13.50 P.; Foreign—£ 1.58 or 4 \$ 86 Cents.

1985

प्रबन्धक भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।